



न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 126/24 अनवान पुनर्व बनाम जिडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/124	<p>पीठासीन अधिकारी आज अज्ञान पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्क सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक <u>16/7/2024</u> को पेश हो। आज्ञा से</p> <p align="center">  रीडर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर </p>	
167/24	<p>पीठासीन अधिकारी आज अज्ञान पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्क सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक <u>23/7/2024</u> को पेश हो। आज्ञा से</p> <p align="center">  रीडर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर </p>	
237/24	<p>पत्रावली जे का दुई। पत्रकारिता अभिवृत्त। उपरिष्ठ है। कर्मीलारी कादेशका कर्मीलारी किना जमा जो कि आयुक्त (3-12) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा 22वीं सं. 02 के पत्र में गरी पद्या मिले 20 न 9279 दिनांक 27.3-2024 के विषय में कर्मीलारी 90-A R.H.R Act के तहत कर्मीलारी के फेका के है। उपर कर्मीलारी कादेशका एंव आर 90-A 2024. मु 22799 अभिवृत्त का कर्मीलारी किना जमा।</p>	




12/1/24 - 2

न्यायालय सम्भागाय आयुक्त जाधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 126/22 अनवान Yadav बनाम IDA वगैरह

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>23.7.24</p>	<p>उल्लेखित पेटाविलेख के विरुद्ध आरा 90-A (3) के तहत इस अपील के लिये सुनवाई की गई है। आरा 90-A RLR Act के तहत खाने पर जरा भूमि सम्पत्ति/प्रतिवस्तु करते हुए कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ अमान्यता करने वाला अमान्य अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आरा 90-A RLR के तहत परतुत अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को प्राप्त है। अपीलार्थी पेटाविलेख के विरुद्ध सुनवाई हेतु संभागीय आयुक्त अज्ञात रही है। वेनेत परतुत अपील अपीलार्थी को अमान्य स्तर पर प्रेषित करने हेतु लौटाई नहीं है।</p> <p align="right">  संभागीय आयुक्त जाधपुर </p>	

